


16/6/20

उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों को सुना।  
प्रथम पक्ष श्री विद्वान् अधिवक्ता द्वारा एक निष्पत्ति  
मांगी गई। अभिलेख दिनांक 22/6/20 को सुना।

22/6/20

अभिलेख उपस्थापित। <sup>अनु. 6V517,</sup> प्रथम पक्ष से वकालत हाजरी।  
द्वितीय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष श्री विद्वान् अधिवक्ता को सुना।  
विवाद परीवारिक है। अतएव वाद की सुनवाई चलने योग्य  
नहीं है। अतः वाद की सुनवाई समाप्त की जाती है।

  
अनु. 6V517.